(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 17/2021-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 18 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. ..... (अ)- एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 689 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैराग्राफ में,-

(i) उपवाक्य (i) में, शब्दों "और मोटर साइकिल" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीक ", मोटर साईकिल, ओमनिबस या अन्य मोटर यान" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) उपवाक्य (iii) के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(iv) विशिष्ट परिसर में स्थित रेस्तरां, इटिंग ज्वाइंटस आदि द्वारा आपूर्ति की जाने वाली रेस्तरां सेवाओं के अलावा रेस्तरां सेवा की आपूर्ति ।"

2. स्पष्टीकरण में,-

(i) मद (ख) में, शब्दों, प्रतीकों, अंकों और कोष्ठकों "और "मोटर साईकिल" का वही अर्थ होगा जो उनका क्रमश: मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (22), खंड (25) और (26) में है" के स्थान पर, प्रतीकों, शब्दों, अंकों और कोष्ठकों ,",मोटर साईकिल, मोटरयान और ओमनिबस" का वही अर्थ होगा जो मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के क्रमशः खंड (22), (25), (27), (28) और (29) में दिया गया है", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) मद (ख) के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(ग) विशिष्ट परिसर से अभिप्राय ऐसे परिसरों से है, जो ऐसे 'होटल की व्यवस्था' की सेवाएं प्रदान करते हैं जिनका ठहरने की एक इकाई का घोषित टैरिफ सात हजार पांच सौ रुपए प्रति इकाई प्रतिदिन से अधिक या समतुल्य हो ।"

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

.

[फा.सं 354/207/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 14/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 689 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 23/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 22 अगस्त, 2017, सा.का.नि. 1052 (अ), दिनांक 22 अगस्त, 2017 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है ।